

18/3/25 पंचायती पेशी में ली गई वृहत् उभयपक्ष

द्वारा जारी प्रपना पर स्वीकार कर 6 MD-B

प.न. 168/316 सु.न. 11 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 जिसमें

कि.न. 5 में लगे ट्यूबवैल से प्रार्थना की भूमि

पक्ष 2 MD प.न. 172/316 कि.न. 1 ता 9 के कि.न.

1 तक पाईपलाइन डालने की अनुमति प्रदान की

जाती है विस्तृत निर्णय अलग ले लिखवाया

जाकर उसे इजलास सुनाया गया। पंचायती

नंबर से कम की जाकर काबिल बनाने

की जाती है

सहायक कलेक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़